



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012023-242022
CG-DL-E-17012023-242022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]
No. 261]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2023

का.आ. 275(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का. आ. 2998 (अ) दिनांक 1 जुलाई 2022 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग -(II), खण्ड-3 उप-खण्ड (ii) 2998 (अ) दिनांक 1 जुलाई 2022 के दिनांकित में निम्ननाकित संशोधन करती है।

अधिसूचना

सक्षमप्राधिकारी - सब कलेक्टर / रेवन्यू डिविजनल आफिसर,
रामपचोदवरम
भूमि का विवरण -राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30
के कि.मी.169.7 से कि.मी.236.15 तक

संशोधित

सक्षमप्राधिकारी - सब कलेक्टर चिंतूरु
भूमि का विवरण -राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30
के कि.मी.169.7 से कि.मी.236.15 तक

नोट :- आंध्र प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के कि.मी.169.7 से कि.मी.236.15 तक तक भूमि अधिग्रहण के लिए सब कलेक्टर / रेवन्यू डिविजनल आफिसर, रामपचोदवरम के जगह पर सब कलेक्टर चिंतूरु पढ़ा जाये।

नया काला नामांकित होने के कारण

[फा. सं. RW/NH-12037/22/2016-AP/P-7]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th January, 2023

S.O. 275(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.2998 (E), Dated the 1th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) dated the 1th July, 2022 namely :-

In the said notification

**Sub Collector / Revenue Divisional
Officer, Rampachodavaram
from Km.169.7 to Km.236.15 of NH-30**

Amended

**Sub Collector Chinturu
from Km.169.7 to Km.236.15 of NH-30**

Note:- District Land Aquisition Officer Sub Collector / Chinturu, Nominated in Place of Sub Collector / Revenue Divisional Officer, Rampachodavaram for Land Acquisition of National Highway-30 from Km.169.7 to Km.236.15

Being the new black nominee
Due to Being the new cala nominee

[F. No. RW/NH-12037/22/2016-AP/P-7]

RAJESH GUPTA, Director